छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2009

(माघ - 30, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मान‍नीय अध्यक्ष ने श्री दृगपाल शाह, अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उपमंत्री एवं पूर्व सांसद के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री रामविचार नेताम एवं नेता प्रतिपक्ष, श्री रविन्द्र चौबे ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.08 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.13 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 11 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 9 (कुल 09 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 9 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2008-2009 के बजट की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, पशुपालन मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008,

पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रामजी भारती, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव की ग्राम पंचायत भण्डारपुर में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
श्री भईयालाल राजवाडे, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी ने तिल्दा-नेवरा ब्लॉक में संचालित शालाओं में निम्न गुणवत्ता का फर्नीचर प्रदाय किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आर्कषित किया ।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) महंत रामसुंदर दास
(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
(3) श्री अमरजीत भगत
(4) श्री नंदकुमार पटेल
(5) श्री सौरभ सिंह
(6) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(7) श्री ब्रह्मानंद नेताम

(8) श्रीमती अंबिका मरकाम

(9) श्री मोहम्मद अकबर

(10) श्री चैतराम साहू

(11) श्री रविशंकर त्रिपाठी

6. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-22 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार **मांग संख्या-69 पर** महंत रामसुंदर दास, **मांग संख्या-81 पर** महंत रामसुंदर दास एवं श्री गुरू रुद्र कुमार **मांग संख्या-36 पर** महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, **मांग संख्या-21 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, गुरू रुद्र कुमार, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर एवं कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री दीपक कुमार पटेल,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री अग्नि चंद्राकर, सुश्री सरोज पाण्डेय, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतोष बाफना, भोलाराम साहू, दयालदास बघेल, शिवराज सिंह उसारे, नंदकुमार साहू, देवजी भाई पटेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री फूलचंद सिंह, गुरू रुद्र कुमार, रामदयाल उइके,

(सभापति महोदय (डॉ.शक्राजीत नायक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दूजराम बौद्ध, सौरभ सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री परेश बागबाहरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री लखमा कवासी, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री जयसिंह अग्रवाल।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. सदन को सूचना

विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन के लिए समय का पुर्ननिर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन अपराह्न 4.00 बजे निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री की अनुदान मांगों पर चर्चा पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी होगा व माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर भी आना है अत: वे विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन के लिए 6.30 बजे का समय निर्धारित करते हैं।

8. वर्ष 2009-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, योजना, आर्थिक तथा

सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 तथा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान से संबंधित मांग संख्या 38 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-1 पर डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री चैतराम साहू, **मांग संख्या-2 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-6 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-31 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-12 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, गुरू रुद्र कुमार, कुलदीप सिंह जुनेजा, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, **मांग संख्या-25 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, चैतराम साहू, **मांग संख्या-71 पर** श्री रविन्द्र चौबे, **मांग संख्या-65 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-11 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, ताम्रध्वज साहू, **मांग संख्या-38 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री नारायण चंदेल,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री परेश बागबाहरा, देवजी भाई पटेल, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री सौरभ सिंह,

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अनुदान मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने एवं विनियोग विधेयक प्रस्तुत होने की अवधि में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) का पुरःस्थापन किया ।

रात्रि 7.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2009 (फाल्गुन 1, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा